FORM-I

(for projects other than linear projects)

Government of H.P.

Office of the District Collector

****

No. SML-SR (57)/2018 -26

Dated: 7th Jan., 2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. II-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 01-51-91 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the DGP Jail Shimla for construction of new Sub-Jail at Rampur Bushahr (purposed for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Mauja Shingla, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 01-51-91 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 5

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of the forest dwellers who are eligible under FRA.

(c) The each of the concerned Gram Sabha(s) has certified hat all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and amelicrative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha is enclosed as annexure I to annexure

(d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha person.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) the right of primitive tribal groups and pre-agriculture communities where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(l) (e) of FRA.

Addl. District Magistrate SHIMLA

Encl: As above

(Amit Kashyap)

(District Collector)

District Collector Shimla District

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Amit Kashyap, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 24.12.2018 at 11.30 A.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Shingla forest area(s) 01-51-91 hectare under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rampur Bushahr were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right

--Nil--

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right

--Nil--

OR

As informed by SDO (Civil) Rampur Bushahr, no application was received from Gram Sabha claiming right in 01-51-91 hectare forest area.

Place: Shimla

Date: 24.12.2018

Deputy Commissioner-Cum- Chairman
District Collector
Shimla District

Addl. District Magistrate
SHIMLA

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 24.12.2018 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI AMIT KASHYAP, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was conveyed on 24.12.2018 under the Chairmanship of Shri Amit Kashyap, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The following were present.

1.	Smt. Prabha Rajeev	Addl. District Magistrate (L&O)
2.	Dr. Nitin Patil	DFO, Theog
3.	Sh. Ashok Negi	DFO, Rampur
4.	Sh. Jangvir Singh Dupta	DFO, Chopal
5.	Smt. Neelam Saraik	Nominated Member
6.	Smt. Anita Kimta	Nominated Member

At the outset the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM(L&O) apprised that total 8 cases including 7 from the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees under the FCA, 1980 and 1 case from the Divisional Forest Officer, Theog have been received. Thereafter, the cases were placed before the District Level Forest Rights Committee and after detailed discussion following decision were taken:

I. The following cases which have been approved by the Sub-Divisional Forest Rights Committees were approved which were complete in all respects:-
   1. C/o Police Post Building Sainj
   2. C/o Gau Sadan at Churat
   3. C/o Ghilar Koti Optua Aneor Khud Road
   4. C/o Kufar to Kanda Shilyar Gavan Sunna Bathal
   5. C/o Bijmal to Halau via Shallan Road
   6. C/o Taklech 100 KW HEP
   7. C/o Sub-Jail, Tehsil Rampur

II. One case was received from the Divisional Forest Officer, Theog regarding C/o Link Road from Nagpuri to Shanti Ban Upper Nagpuri Tehsil Jubbal which was rejected by the DFO Theog on the following grounds:
   1. The User Agency of the project is silent about numbers of beneficiaries.
   2. As per provisions of FRA the communities (general masses) as defined in the Act should be benefited.

Addl. District Magistrate
SHIMLA

3. The proposed Forest Land is Reserve Forest having 24 trees of different species and classes in it.

After discussion this case was approved by the committee subject to submission of the list of beneficiaries as required under the provision of FRA.

III. The DFO Kotgarh was not present in the meeting and he informed about his inability to attend the meeting on the eleventh hour which was viewed seriously by the chair. The Chairman gave directions that all the concerned DFO's must be present in the meeting in future.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

Addl. District Magistrate
SHIMLA

Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (C) RAMPUR BUSHAHR, DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH.

Proceeding of the meeting of the sub-divisional level Commitee consttiuted under Schduled tribes & Other Treditional Forest Dwellers (Recognition of Right) Act (FRA), 2006.

A meeting of the sub-divisional Level Commitee of Rampur Sub-division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Narender Chauhan HAS, Sub-Divisional Officer (c), Rampur Bushahr Distt, Shimla, H.P. on 17-10-2018 at 11:00 am at Rampur in which the application (s) of the DGP Jail Shimla for diversion of land situated in Mouja Shingla forest areas, measuring 1-51-91 Hect, for the construction of new Sub-Jail in Tehsil Rampur Bushahr District Shimla, H.P. under FRA 2006 was duly processed and recommended by the Shingla Gram Sabha Was discussed and the same is recommended to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claim of following applicants was found be in order and recommended for admission of Distt. Level Committee.

Sr. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
	....	....	....

Cliam of following applicant were not found in order and hence reject.

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
	....	....	....

OR

As informed by Shingla Gram Sabha, no application were received claiming right in Shingla on forest aera,

Place: Rampur

Dated: 17-10-2018

SDO (Civil)-cim-Chairman,
Sub-Divisional level Committee,
Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P

Addl. District Magistrate
SHIMLA

आज दिनांक 17-10-2018 को श्री नरेन्द्र चौहान (हि०प्र०से०) उप-मण्डलाधिकारी (ना०) रामपुर की अध्यक्षता मे Schedule Trible- The Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right)Act (FRA)2006 के अंर्तगत बैठक हुई, बैठक मे निम्नलिखित सरकारी सदस्यो एवं गैर सरकारी सदस्यो ने भाग लिया।

1. श्री विपन ठाकुर तहसीलदार रामपुर।
2. श्री मिडिल सिंह R.O. रामपुर।
3. श्री भानू प्रकाश शर्मा मुख्य कल्याण अधिकारी (जेल)।
4. श्री सुदेश शर्मा तकलेच प्रोजेक्ट।
5. श्री चरन दास पंचायत समिति सदस्य

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक मे उपस्थित हुए सरकारी एंव गैर सरकारी सदस्यो का बैठक मे उपस्थिति होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक मे निम्न मुदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या -1 रामपुर मे नये उप कारागार के निर्माण हेतु वाका चक शिगला मे अराजी खसरा न0 24/1 रक्बा तादादी 1-08-24 है0 खसरा न0 2929/1429 रकवा तादादी 0-43-67 है0 मलकियत सरकार किस्म अराजी चरागाह बिला द्रख्तान है। वन अधिकार कमेटी ग्राम शिंगला के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 1-10-2018 गणपूर्ति 310/750 दवारा ग्राम सभा मे पारित प्रस्ताव के माध्यम से नई उप कारागार रामपुर के निर्माण हेतु सहमति प्रकट की गई है। जेल विभाग की और से उपस्थित सदस्य श्री भानु प्रकाश शर्मा मुख्य कल्याण अधिकारी (जेल) दवारा नई उप-कारागार के लिए 1-51-91है0 भूमि स्वीकृत होने बारे सहमति दी है। जिस पर बैठक मे उपस्थ्रित सभी सरकारी एंव गैर सरकारी सदस्यो दवारा भी उक्त रक्बा 1-51-91 है0 अराजी के लिए सहमति प्रकट की, Forest Right Act, 2006 के अधीन कोई भी दावा बकाया नही है। इसलिए समिति सर्व सहमति से उक्त कारागार को स्थापित करने की सिफारिश करती है।

Addl. District Magistrate
SHIMLA

मद संख्या 2

सतीश कुमार भारदवाज सोल प्रोपराईटर माईको बिजली प्रोजेक्ट तकलेच के निर्माण हेतु वाका चक डमराली रक्बा 0-29-28 है0 किस्म गैर मुमकिन खडड, चारागाहा द्रख्तान, गैर मुमकिन सडक व वाका चक DPF कुवन का रक्बा 0-20-15है0 किस्म अराजी जंगल मैफूजा मैहदूदा कुल रक्बा 0-49-43 है0मलकियत सरकार है। ग्राम सभा डमराली कुवन के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15/6/2018 तथा पंचयात की गणपूर्ति 157/520 के अनुसार ग्रामवासियों दवारा ग्राम सभा मे पारित प्रस्ताव के माध्यम से सतीश कुमार सोल प्रोपराईटर माईको पन बिजली परियोजना तकलेच के निर्माण हेतु सहमति प्रकट की है। जिस पर बैठक मे उपस्थित सभी सरकारी एंव गैर सरकारी सदस्यो दवारा उक्त अराजी रक्बा तादादी 0-49-43 है0 के लिए सहमति प्रकट की है। Forest Right Act, 2006 के अधीन कोई भी दावे लम्बित नहीं है। इसलिए समिति सर्व सहमति से उक्त माईको पन विद्युत परियोजना को स्थापित करने की सिफारिश करती है।

अन्त मे बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का बैठक सम्पन्न होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा धन्यवाद किया गया।

(नरेन्द्र चौहान) हि.प्र.से.
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0
दूरभाष नं0 01782 233002

पृष्ठांकन संख्याः आर0एम0पी0/एस0डी0के0/2018 964 **दिनांक** 29/10/18

प्रतिलिपिः

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवा हिमाल प्रदेश शिमला-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रमपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. तहसीलदार रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारियों तथा समिति के सदस्य को सूचनार्थ।

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0
दूरभाष नं0 01782 233002

Addl. District Magistrate
SHIMLA

Annexure-I 228

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा............
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव सख्या 9 .... दिनांक 02-10-2018

वन अधिकार समिति ग्राम सभा...... खिंगाला ...... की बैठक आज दिनांक........................
को .... बजे स्थान .... में श्री / श्रीमति..........
पदमदेव जीता ...... की अध्यक्षता में की गई जिसमें ...... खिंगाला ...... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2016, के अन्तर्गत...
...... किनीव्वार ...... जगंल /वन क्षेत्र में (जिसमें ...... कारागार ...... विभाग द्वारा उप-कारागार
.... निर्माण के लिए 01-51-91 ...... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूंरी प्रस्वावित है।
वन अधिकारों के लिए दाये हेतू प्राप्त हुए गााव वासियों के वन अधिकरो के आवेदनों पर चर्चा की गई।
वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रो का दावा नियमानुसार सही पाया गया

क्र०सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जगल का नाम	वन अधिकार का व्योरा
1.		किनीव्वार	
2.			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे /इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया

क्र०स०	पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे /इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.................................जंगल /वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावाा प्राप्त नही हुआ।

अध्यक्ष समिति
वनअधीकृत हस्ताक्षरकर्ता.....
ग्राम सभा..............

स्थान..............................
दिनांक............................

• ग्रामवासी /ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/ जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
• प्रोजैक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Addl. District Magistrate
SHIMLA

Annexure-H

238

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा.......खिंगला........

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव सख्या .....9.....

दिनांक 02-10-2018

ग्राम सभा.......खिंगला....... की बैठक आज दिनांक 02-10-18 को .... 11 बजे स्थान ....खिंगला....... में श्री /श्रीमति.......विमला शर्मा....... की अध्यक्षता में की गई जिसमें .....खिंगला..... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, के अन्तर्गत.....मनीयार..... ....जगंल /वन क्षेत्र में (जिसमें .....आंगनबाड़ी.....विभाग द्वारा .....उप-आंगनबाड़ी..... निर्माण के लिए 01-51-91 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूंरी प्रस्तावित है)। वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क्र०सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1.		मनीयार	
2.			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे /इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया

क्र०स०	पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे /इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार.....................जंगल /वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नही हुआ।

स्थान..............................

दिनांक............................

अध्यक्ष / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा..................

ग्राम पंचायत खिंगला

पंचायत समिति ... जिला शिमला (हि०प्र०)

• ग्रामवासी /ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/ जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

• प्रोजैक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Addl. District Magistrate

SHIMLA

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा ...... शिंगला ......
विकास खण्ड ...... रामपुर बु. ...... जिला ...... शिमला ......(हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता :- श्री/श्रीमति

दिनांक 02-10-2018

गणपूर्ति ...... 380 / 750 ......

प्रस्ताव संख्या 9

विषय: ...... कारागार ...... विभाग/संस्था को ...... उप-कारागार ...... के निर्माण हेतू ...... कैन्नी ध्वार ...... जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित ...... 01-51-91 ...... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ...... शिंगला ...... की बैठक आज दिनांक 02-10-2018 को ...... 11 ...... बजे, स्थान ...... शिंगला ...... में की गई, जिसमें ...... कारागार ...... विभाग/संस्था को ...... उप-कारागार ...... के निर्माण हेतू ...... कैन्नी ध्वार ...... जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित ...... 01-51-91 ...... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित ...... 01-51-91 ...... हैक्टेयर वन भूमि को ...... उप-कारागार ...... निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा ...... शिंगला ...... की सहमति दी जाती है।

स्थान ...... शिंगला ......
दिनांक ...... 02-10-2018 ......

अधिकृत सचिव/हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम पंचायत, शिंगला
वि०ख० रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

Addl. District Magistrate
SHIMLA

(239)

2257

कार्यालय ग्राम पंचायत, शिंगला
विकास खण्ड रामपुर, जिला जिला शिमला (हि०प्र०)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक ....

दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या......9......दिनांक बैठक 02/10/2018 उपस्थिति 380/750

अध्यक्षता श्री / श्रीमती .... प्रधान ग्राम पंचायत, शिंगला

विषय :–

प्रस्ताव न0–9 ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि0 उप–कारागार फैनीधार रामपुर शिमला में निर्माण हेतु F.R.A हेतु अनापति प्रमाण देने बारे।

ग्राम पंचायत शिंगला की ग्राम सभा बैठक मे उक्त विषय बारे विचार विर्मश किया गया जिस में ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि0 उप–कारागार फैनीधार रामपुर जिला शिमला में निर्माण हेतु F.R.A हेतु अनापति प्रमाण देने बारे चर्चा की गई। जिस में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ कि ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि0 उप–कारागार फैनीधार रामपुर जिला शिमला में निर्माण हेतु अनापति प्रमाण देना उचित है। इस उप–कारागार फैनीधार में निर्माण के लिए वन भूमि के हस्तांतरण से किसी व्यक्ति के अधिकार आहत नही होते है।

अतः ग्राम पंचायत शिंगला की ग्राम सभा बैठक मे पारित हुआ कि ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि0 उप–कारागार फैनीधार में निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र विहित अधिकारी की सेवा में प्रेषित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नक्ल प्रस्ताव असल है।

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT SHINGLA
DEV BLOCK RAMPUR, SHIMLA, H.P

Addl. District Magistrate
SHIMLA